

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-22/2015- 4-7 (आवंटन) कृ०, पटना, दिनांक 25-06-2015
प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

Mail/Fax

कृषि निदेशक बिहार, पटना जिला पदाधिकारी, पटना/ नालन्दा/भोजपुर/ बक्सर /
रोहतास/कैमूर (भभुआ)/गया/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/ सारण/ सीवान
/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण /सीतामढ़ी/ शिवहर/वैशाली
/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/मुंगेर/लखीसराय/ शेखपुरा/जमुई /भागलपुर
/बांका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णिया/किशनगंज/ अररिया /कटिहार /खगड़िया।

विषय : खरीफ 2015 में अनियमित मानसून/बाढ़/ सुखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2015-16 में सिचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु 90.7175 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये कुल 115.00 करोड़ रुपये (एक अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 2.30 करोड़ रुपये (दो करोड़ तीस लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹2,30,00,000 (दो करोड़ तीस लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-3012 दिनांक-25-06-2015 के द्वारा खरीफ 2015 में अनियमित मानसून/बाढ़/ सुखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2015-16 में सिचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु 90.7175 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये कुल 115.00 करोड़ रुपये (एक अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 2.30 करोड़ रुपये (दो करोड़ तीस लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹2,30,00,000 (दो करोड़ तीस लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹2,30,00,000 (दो करोड़ तीस लाख रुपये) मात्र का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जन जातिय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0147-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड-P2401007960147 विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2015-16 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

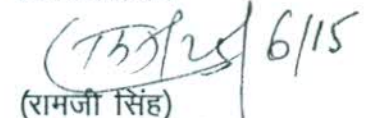
3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।



विश्वासभाजन


(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

47 (आवंटन)

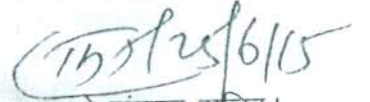
/कृ0, पटना, दिनांक 25-06-2015

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

47 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 25-06-2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ निदेशक, पी0 पी0 एम0, बिहार, पटना/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक, (शष्य) बीज कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।




सरकार के संयुक्त सचिव।

खरीफ 2014 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी आपाककालिन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2014-15 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु (अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों) विभागीय स्वीकृतिपत्र संख्या-3012/ दिनांक-25.06.2015 का आवंटन विवरणी।
विपत्र कोड-P2401007960147

(राशि रुपये में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	कृषि निदेशक बिहार, पटना	48,56,500	48,56,500
2	जिला पदाधिकारी, पटना	5,94,780	5,94,780
3	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	6,32,540	6,32,540
4	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	5,61,740	5,61,740
5	जिला पदाधिकारी, बक्सर	4,41,360	4,41,360
6	जिला पदाधिकारी, रोहतास	9,27,880	9,27,880
7	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	5,19,260	5,19,260
8	जिला पदाधिकारी, गया	7,62,360	7,62,360
9	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	2,36,020	2,36,020
10	जिला पदाधिकारी, अरवल	2,00,620	2,00,620
11	जिला पदाधिकारी, नवादा	4,03,600	4,03,600
12	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	7,83,600	7,83,600
13	जिला पदाधिकारी, सारण	5,61,740	5,61,740
14	जिला पदाधिकारी, सिवान	5,47,580	5,47,580
15	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	4,86,200	4,86,200
16	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	6,34,900	6,34,900
17	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	9,22,860	9,22,860
18	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण	7,57,640	7,57,640
19	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	4,69,680	4,69,680
20	जिला पदाधिकारी, शिवहर	1,20,380	1,20,380
21	जिला पदाधिकारी, वैशाली	3,82,360	3,82,360
22	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	4,57,880	4,57,880
23	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	7,64,720	7,64,720
24	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	5,19,260	5,19,260
25	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	4,01,240	4,01,240
26	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	2,17,140	2,17,140
27	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	1,36,900	1,36,900
28	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	2,07,700	2,07,700
29	जिला पदाधिकारी, जमुई	3,37,520	3,37,520
30	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	4,48,440	4,48,440
31	जिला पदाधिकारी, बांका	5,28,700	5,28,700
32	जिला पदाधिकारी, सहरसा	3,37,520	3,37,520
33	जिला पदाधिकारी, सुपौल	4,20,120	4,20,120
34	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	3,46,960	3,46,960
35	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	5,47,580	5,47,580
36	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	4,08,320	4,08,320
37	जिला पदाधिकारी, अररिया	4,88,580	4,88,580
38	जिला पदाधिकारी, कटिहार	4,05,960	4,05,960
39	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	2,21,860	2,21,860
	कुल	2,30,00,000	2,30,00,000

(कुल-दो करोड़ तीस लाख रुपये मात्र)।

सुभा

15/6/15

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।